

(एक मिनीरल कम्पनी)
(कोल इण्डिया लिमिटेड की एक अंग)

न्यायालय श्रीमति लूसी सोसेन तिग्गा

सिविल जज (वरीय कोटी)-I, बोकारो

Original Suit No- 70/2022

मेसर्स बी.सी.सी.एल. ई.जे. एरिया, भौरा (जी.एम) वादी
बनाम्

झारखंड सरकार एवं लखी राम मांझी प्रतिवादीगण

नोटिस बनाम्

1. लखी राम मांझी (प्रतिवादी सं0-5), सभी पिता -लुघर मांझी, जाती- संधाल, साकीम- अमरा घुट्टु, चंदनकीयरी, पो0- भोजुडीह पी0एस0- चंदनकयारी, जिला- बोकारो, झारखंड

इस प्रकाशन के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध उपरोक्त वाद मे स्वत्व वाद का मुकदमा दायर किया गया है। उपरोक्त वाद मे आप प्रतिवादी हैं। न्यायालय द्वारा नोटिस निर्गत होने के बावजूद आप न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं।

अतः आपको इस प्रकाशन के माध्यम से सूचित किया जाता है कि दिनांक 15.12.23 को सुबह 10:30 बजे स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हो कर उक्त वाद में अपना पक्ष रखें, अन्यथा आप सबों की अनुपस्थिति में वाद की सुनवाई आपके विरुद्ध एक पक्षीय की जाएगी।

ह0/- सिविल जज (वरीय कोटी) -I
सिविल कोर्ट, बोकारो

मेमो नं. : 145, दिनांक : 19.10.23

यह सूचना बीसीसीएल की वैबसाइट www.bcclweb.in पर भी उपलब्ध है।